सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2016-17

मार्च, 2016

प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । यह विवरण बजट प्रावधान की उन योजनाओं का संकलन है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं । ये शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं, स्वास्थ्य, तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को इंगित करते हैं ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत वर्ष 2013-14 में की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर व्यय किए जाने हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा है:-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
3. शिक्षा विभाग ।
4. समाज कल्याण विभाग ।
5. श्रम संसाधन विभाग ।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
7. स्वास्थ्य विभाग ।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	बजट 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	बजट 2016-17
1	2	3	4	5
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	700.00	700.00	1000.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	146616.72	216867.26	146040.97
3	शिक्षा विभाग	898705.82	1081683.31	1022787.60
4	समाज कल्याण विभाग	178011.90	262765.72	225198.00
5	श्रम संसाधन विभाग	250.00	250.00	250.00
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	77716.93	103170.02	88155.14
7	स्वास्थ्य विभाग	32248.72	22778.50	26195.27
8	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	16023.32	22623.32	5321.12
	कुल योग-	**1350273.41**	**1710838.13**	**1514948.10**

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में विभागवार उपशीर्षवार प्रावधानित राशि संबंधित उपशीर्ष के कुल प्रावधानित राशि से कम भी हो सकती है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - कला संस्कृति एवं युवा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना.	बजट 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N2204001040001	विद्यालय खेलकूद	200.00	200.00	400.00	गैर योजना	विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता का लक्ष्य है ।
2	P2204001040102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	500.00	500.00	600.00	राज्य योजना	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं हेतु एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया । इन केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य है ।
		योग-	**700.00**	**700.00**	**1000.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2015-16	संशोधित 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2225031970101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	12500.00	12500.00	12000.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10,00,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
2	P2225032770101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	9200.00	5778.00	9000.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7,50,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
3	P2225031980101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (ग्राम पंचायत)	23827.46	27500.00	20452.66	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17,05,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
4	P2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	92500.00	156750.70	90000.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 75,00,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति
5	P4225032770101	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्रावास	1500.00	1500.00	1500.00	राज्य योजना	उच्च विद्यालय एवं ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए यह योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के निर्माण एवं नवनिर्मित छात्रावासों के संचालन पर व्यय होने की संभावना है।
6	P2225032770101	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	5000.20	7749.50	7000.00	राज्य योजना	अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप 10000/- रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 70,000 छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
7	P2225032770101	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	1000.00	4000.00	5000.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग के छात्रों को, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/- तक हो, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप 10000/- रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 50,000 छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

8	N2225032770010	12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	977.20	977.20	1016.20	गैर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित है, जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति आवासीय विद्यालयों में प्रति वर्ष 280 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।
9	N2225032770002	छात्रावासों का संधारण	111.86	111.86	72.11	गैर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत राज्य में संचालित 6 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संधारण एवं इसमें सृजित स्थायी पदों के वेतन एवं भत्ते मद में राशि व्यय होगी।
		योग-	**146616.72**	**216867.26**	**146040.97**		

<u>बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी</u>

विभाग - शिक्षा विभाग

(राशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2015-16	संशोधित बजट 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2202011120203 P2202017890306 P2202011120303	मध्याह्न भोजन योजना	68184.00	214251.63	173616.81	केन्द्र प्रायोजित योजना	सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता की भावना विकसित होती है तथा साथ ही उनमें स्वस्थ्य मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास होता है।
2	P2202010010107	किलकारी (बिहार बाल भवन को अनुदान)	300.00	300.00	300.00	राज्य योजना	किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक बच्चों की सृजनशीलता को उभारने हेतु स्वस्थ तनावरहित एवं आनन्दमयी वातावरण में उनकी अभिरूचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है :- 1. नियमित प्रशिक्षण - शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंडन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2. प्रकाशन-किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किताबें बोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना। 3.गुल्लक (बच्चा बैंक)-बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना। 4. फोटाग्रॉफी-बच्चों में देखने-समझने के नजरियों को विकसित करने की योजना। वर्त्तमान में बच्चें बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर रहें है। इसके उपरांत पुस्तक निमार्ण की योजना। 5. चलंत पुस्तकालय - बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़नें की योजना।

							6. पुस्तकालय (मस्ती की पा शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रही है। 7. किलकारी की शाखाएं-प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। 8. किलकारी के वार्षिक आयोजन - बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय वाल लोक नृत्य महोत्सव आदि का योजना। 9. किलकारी की अन्य परियोजनाएं- (क) टाटा दोरबजी के फंड से पटना के 10 सरकारी विद्यालयों में, तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा धरहरा (भागपुर) में तीन-तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन। (ख) युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन। (ग) युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन।
3	P2202011110101 P2202011110201 P2202011110301	सर्व शिक्षा अभियान	525549.22	542197.98	679177.63	केंन्द्र प्रायोजित योजना	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वालें सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
4	P2202011090101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	20000.00	43387.00	4800.80	राज्य योजना	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।

5	P2202017890102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	20000.00	19000.00	5200.00	राज्य योजना	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
6	P2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	20000.00	30893.34	10000.00	राज्य योजना	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
7	P2202011090103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	5845.00	5845.00	2500.00	राज्य योजना	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/ रु० शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।
8	P2202021070105	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (सामान्य कोटि)	15000.00	21270.78	5000.00	राज्य योजना	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुंच सके। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक
9	P2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	9100.00	8410.00	2500.00	राज्य योजना	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुंच सके। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुये है।

10	P2202021070106 P2202027890102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	24000.00	28765.29	7500.00	राज्य योजना	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सभी जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहूंच सके। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुये है।
11	P2202021070107 P2202031070104 P2202027890104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	19951.36	25273.26	10000.00	राज्य योजना	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को 1000/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
12	P2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	11400.00	17542.13	5215.72	राज्य योजना	मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रू0 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख हो सके एवं अंतरस्नात्तक की पढ़ाई भी इस योजना द्वारा कर सके और इसके लिए वे परिवार पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहें।
13	P4202012020211 P2202021090307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	7937.00	7937.00	13333.33	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।
14	P4202012020103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	29157.25	14157.25	3290.92	राज्य योजना	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है।
15	P2202021090105	आई0 सी0 टी0 परियोजना	2500.00	2500.00	0.01	राज्य योजना	कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।
16	P2204001010103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	10.00	10.00	0.01	राज्य योजना	मध्य विद्यालयों को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता हे।
17	P2204001010108	बिहार सवजूनियर स्पौंटस मीट तरंग	450.00	450.00	400.00	राज्य योजना	जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्टस हेतु सवजूनियर स्पोर्टस मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दी जाती है।

18	P2202017890308	सर्व शिक्षा अभियान	109264.66	82162.66	93152.37	केन्द्र प्रायोजित योजना	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वालें सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओें को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
19	P2202017960109						
20	P2202011090105	प्रारंभिक विद्यालयें में छात्रवृत्तियॉं	8317.33	15589.99	5000.00	राज्य योजना	प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनूरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 50/-प्रति माह अर्थात 600/-वार्षिक, कक्षा 5 से 6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 100/- प्रति माह अर्थात 1200/-वार्षिक, तथा कक्षा 7 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 150/-प्रति माह अर्थात 1800/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि वें अध्ययन के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री क्रय कर सके।
21	N2202011090004	प्रोत्साहन हेतु विद्यालयें में सामाजिक उत्सव	1740.00	1740.00	1800.00	गैर योजना	प्रारंभिक विद्यालयें में वार्षिक परीक्षोपरांत कक्षो 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बीच शैक्षणिक माहौल हेतु कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उसमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।
		योग :–	898705.82	1081683.31	1022787.60		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी
विभाग- समाज कल्याण विभाग

क्र० सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2235021020323	समेकित बाल संरक्षण योजना	500.00	1000.00	500.00	राज्य योजना (राज्यांश)	इस योजना के महत्त्वपूर्ण घटकों में राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल गृह, विधि विवादित किशोरों के लिए पर्यवेक्षण गृह, शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद एवं फ्लैक्सी फंड आदि की स्थापना है।
2	P 2235021020223	समेकित बाल संरक्षण योजना	1124.00	4124.00	1500.00	राज्य योजना (केन्द्रांश)	
3	P 2235021060107	बाल कल्याण एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (बिहार बाल अधिकार आयोग)	200.00	200.00	200.00	राज्य योजना	
4	P 2235021060106	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई	1000.00	975.00	1000.00	राज्य योजना	बिहार राज्य बाल संरक्षण योजना की स्थापना
5	P 2235021030111 P2235027890109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	4540.00	0.00	1200.00	राज्य योजना	गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में कन्या के जन्म पर 2000/- रुपये की राशि एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है।
6	P 2235021020116	परवरिश	250.00	250.00	500.00	राज्य योजना	

7	P2235021020222	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)-स्थापना, प्रशिक्षण एवं पैच्छ योजना सहित	6961.64	59176.91	68417.38	राज्य योजना-केन्द्रांश (60%/ISSNIP-90%)	कुल उपबंधित राशि में बच्चों के लिए केन्द्रांश मद में रू.797.87 लाख (ISSNIP के अंतर्गत अनप्रासन हेतु) का संभावित व्यय प्रस्तावित है।
	P2235021020322		48789.84	42962.865	6836.10	राज्य योजना-राज्यांश (40%/ISSNIP-10%)	कुल उपबंधित राशि में बच्चों के लिए राज्यांश मद में रू.88.65 लाख (ISSNIP के अंतर्गत अनप्रासन हेतु) का संभावित व्यय प्रस्तावित है।
8	P2236021010203	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)-पूरक पोषाहार	52875.36	62848.12	59663.88	राज्य योजना-केन्द्रांश (50%)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूरक पोषाहार मद में कुल उपबंधित राशि से राज्य में पूर्व स्वीकृत 91677 आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 7116560 बच्चों तथा नवस्वीकृत 23041 आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 1776280 वच्चों कुल मिलाकर 8892840 लाभार्थियों को पूरक पोषाहार प्रदान कर उन्हें कुपोषणता से बचाना है।
	P2236027890204	पूरक पोषाहार-केन्द्रांश (विशेष घटक)	0.00	0.00	38418.54		
	P2236021010303	पूरक पोषाहार-राज्यांश (सामान्य)	17035.02	27007.78	841.00	राज्य योजना-राज्यांश (50%)	
	P2236027890304	पूरक पोषाहार-राज्यांश (विशेष घटक)	34048.94	34048.94	21089.96		
	P2236027960305	पूरक पोषाहार-राज्यांश (जनजातिय योजना)	1791.40	1791.40	7247.94		
9	P4235021020208	राज्य योजना- केन्द्रांश	0.00	6441.00	14581.20	राज्य योजना-केन्द्रांश (60%)	
	P4235021020308	राज्य योजना राज्यांश	0.00	4294.00	2.00	राज्य योजना-राज्यांश (40%)	

	P2235021020117	ऑगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का	7116.56	7116.56	2400.00		
10	P2235027890103	ऑगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक-(विशेष घटक)	1779.14	1779.14	800.00	शत्-प्रतिशत राज्य योजना	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 86237 आँ0 केन्द+ 21366 नई आँ0 केन्द्र हेतु 40 बच्चों की दर से एवं 5440 मीनी केन्द्र + 1675 नई मिनी आँ0 केन्द्र हेतु 20 बच्चों की दर से कुल 44,46,420 बच्चों के लिए रू. 250 की दर से। राशि निर्धारित उद्व्यय के आधार पर। (State Plan-100%)
11	P2235021020119	स्वस्थ-पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (वाह्य सम्पोषित)	0.00	8750.00	0.00	शत्-प्रतिशत राज्य योजना. (वाह्य सम्पोषित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 से इस योजना की समयावधि समाप्त है।
		योग	178011.90	262765.72	225198.00		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - श्रम संसाधन विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2230011030103	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	250.00	250.00	250.00	राज्य योजना	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिको का नियोजन प्रतिबंधित है । बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है । विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह का राशन हेतु 1500 रूपये एवं वस्त्र हेतु 300 रूपये, आवश्यकतानुसार आहार-पथ्य हेतु 50 रूपए अर्थात् कुल 1850/- रूपए का भुगतान किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारियों को 521 विमुक्त बाल श्रमिक के लिए 5000/- रूपए प्रति बाल श्रमिक की दर से जिला पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने हेतु कुल 26.05 लाख रूपए का आवंटन किया गया है।
		योग-	**250.00**	**250.00**	**250.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2225011970101 P2225011980101 P2225012770107 P2225021970101 P2225021980101 P2225022770101 P2225012770218 P2225022770214	विद्यालय छात्रवृत्ति	58020.85	78298.95	62711.00	राज्य योजना/ केन्द्रीय प्रायोजित योजना	लगभग 55 लाख वर्ग 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति विभिन्न दरो पर प्रदान की जाती है। मुशहर/भुईयॉ के बच्चों को वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों को उच्चतर दर पर छात्रवृति देने का प्रावधान है ।
2	P2225011980101 P2225012770101 N2225011980001 N2225011970002 N2225012770007	मुशहर छात्रवृत्ति	2290.00	2290.00	2320.00	राज्य योजना/ गैर योजना	
3	N2225011970001 N2225012770007	अस्वच्छ छात्रवृत्ति	40.00	40.00	40.00	केन्द्र प्रायोजित योजना/ गैर योजना	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 15 हजार बच्चों को छात्रवृति।
4	P2225012770107 P2225022770101	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	102.00	102.00	102.00	राज्य योजना	
5	P2225032770101	आवासीय विद्यालय	11140.91	11136.13	11180.91	गैर योजना	80 आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।
6	N2225012770002 N2225022770003	छात्रावास संधारण	1358.17	1352.87	1361.23	गैर योजना	
7	N2225012770011 N2225022770001	परीक्षाशुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	गैर योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि का भुगतान किया जाता है।
8	P2225012770218 P2225022770214	मेरिट उन्नयन योजना	180.00	138.85	35.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
9	P2225012770107 P2225022770101	मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	4500.00	9726.22	10320.00	राज्य योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण लगभग 1 लाख 20 हजार छात्र/छात्राओं को 10000 रु.एवं 8000/- मेधावृत्ति उपलब्ध कराना।
		योग-	**77716.93**	**103170.02**	**88155.14**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी विभाग- स्वास्थ्य विभाग							
क्र. सं0	विपत्र कोड	परियोजना का नाम	बजट 2015-16	संशोधित बजट अनुमान 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	17735.42	10365.40	11920.21	राज्य योजना	इन नये कार्यक्रम के अंतर्गत 0-18 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में जन्मजात दोषों, विकासात्मक कमी वाले बच्चों सामान्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों एंव सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बीमार बच्चों की सरकारी खर्च पर चिकित्सा एवं शल्य-चिकित्सा सम्पन्न किया जाना है।
2	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	329.06	330.61	380.20	राज्य योजना	बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर SNCU/NBSU/NBCC की स्थापना की जा रही है।
3	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	नवजात शिशु की घर पर देखभाल	4000.00	4000.00	4600.00	राज्य योजना	नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण के जरिये आशा कार्यकर्त्ता द्वारा सेवा दी जा रही है। जच्चा-बच्चा के बीमारी की अवस्था में आशा द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उचित इलाज देकर सेवा प्रदान की जाती है।
4	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	5300.00	6362.40	7316.76	राज्य योजना	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 10-19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHC) के माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक विकार, गैर-संचारित रोग एवं घरेलू हिंसा पर परामर्श दिये जाते है। Menstrual Hygiene कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं के द्वारा सेनेटरी नैपकिन सामाजिक विपणन के माध्यम से (प्रति पैकेट रू0 6 मात्र) किशोरियों को 9 जिलों (औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कैमूर, वैशाली, रोहतास, मुजफ्फरपुर एवं सारण) में वितरित किया जा रहा है।
5	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	NRHM के अन्तर्गत पोषण पुनर्वास केन्द्र	4884.24	1720.09	1978.10	राज्य योजना	अतिकुपोषित बच्चों को पोषण के संदर्भ में सामान्य रूप में पोषित करने के लिए राज्य के 38 जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है।
		योग	32248.72	22778.50	26195.27		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	बजट 2016-17	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (परियोजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2202021070210	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	3400.00	1000.00	120.00	केन्द्र प्रायोजित योजना	केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है । इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है ।
2	P2202021070109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	12623.32	21623.32	5201.12	राज्य योजना	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु दिया जाता है ।
		योग-	**16023.32**	**22623.32**	**5321.12**		

बि0स0मु0 (वित्त), 17—मो0जी0—ऑफसेट—700